तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज पन्नी बनाम दुलीराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.11.19	अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के न्याय आपके द्वार कैम्प देसूला में पारित आदेश दिनांक 06.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 313 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम कैमाला तहसील व जिला अलवर में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वार कैम्प देसूला में उक्त निर्णय मिन अपीलांट के खिलाफ सादिर फरमाया है जिस बाबत् ना तो मिन अपीलांट को किसी प्रकार का नोटिस दिया गया है और ना ही मिन अपीलांट कोर्ट में हाजिर था। कानूनन कैम्प कोर्ट में केवल उन्ही मामलों का निस्तारण किया जा सकता है जो आपसी समझाईश से राजीनामा से निस्तारित हो सकते हों। बिवादित आराजी पूर्व में ही वादी व प्रतिवादीगण के बीच मौखिक तौर पर बंटी हुई है जबकि तहत अदालत ने तहसीलदार अलवर को आदेशित किया है कि उभयपक्ष की मौजूदगी में कुरेजात तैयार किये जावें जबकि विवादित आराजी के तकासमे के लिये कब्जे के आधार पर कुरेजात कायम किये जाने हेतु आदेश प्रदान किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पैरवी का मौका दिये बिना आदेश पारित कर दिया। तहत अदालत द्वारा विधि विरूद्ध व खिलाफ मौका एवं कब्जा, बिना सुनवाई का अवसर दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20(3) में यह प्रावधान है कि जो प्रकरण लोक अदालत के समक्ष लिया गया है, वहां लोक अदालत उस मामले या विषय का निपटारा करने के लिये अग्रसर होगी और पक्षकारों के बीच समझौता करायेगी या परिनिर्धारण करेगी। इस अधिनियम की धारा 21 व 22 में अत्यन्त प्रासंगिक है जो निम्नानुसार है– (1) लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय, अधिनिर्णय यथा स्थिति सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जायेगा और ऐसे किसी लोक अदालत द्वारा धारा 20 की उपधारा 1 के अधीन उसका निर्णय किसी लोक अदालत द्वारा मामले में समझौता या परिनिर्धारण किया गया है, वहां ऐसे मामले में संदत्त न्यायालय फीस, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 के उपबंधित रीति से लौटा दी जायेगी।	

(2) लोक अदालत या स्थाई लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अन्तिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर होगा तथा अधिनिर्णय के खिलाफ़ किसी न्यायालय में कोइ अपील नही होगी।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। तहत अदालत के निर्णय व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन करने उपरान्त हम ये आदेश देना उचित समझते हैं कि उक्त अपील लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ पेश की गई है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 06.06.2018 को प्रचलन से रोका जाता है। उक्त अपील को तहत अदालत में इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुये विधिसम्मत अपना निर्णय पारित करें।आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। 28.11.19